

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना (Technology Mission on Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किरमों के बीज तथा Wide Row Spacing Method, Single Bud Planting Method व Multiple Ratooning के लिए किसानों को अनुदान दिया जायेगा। जिलेवार भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:-

| क्र० स० | जिले का नाम | Notified/ Recommended किरमों के बीज पर अनुदान | Wide Row Spacing Method | Single Bud Planting Method | Multiple Ratooning |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | भौतिक लक्ष्य (एकड़) | भौतिक लक्ष्य (एकड़) | भौतिक लक्ष्य (एकड़) | भौतिक लक्ष्य (एकड़) |
| 1 | कुरुक्षेत्र | 323 | 512 | 323 | 430 |
| 2 | करनाल | 360 | 572 | 360 | 480 |
| 3 | पानीपत | 150 | 238 | 150 | 200 |
| 4 | सोनीपत | 225 | 357 | 225 | 300 |
| 5 | जीन्द | 90 | 143 | 90 | 120 |
| 6 | कैथल | 90 | 143 | 90 | 120 |
| 7 | रोहतक | 300 | 476 | 300 | 400 |
| 8 | पलवल | 60 | 95 | 60 | 80 |
| 9 | यमुनानगर | 810 | 1286 | 810 | 1080 |
| 10 | अम्बाला | 322 | 512 | 322 | 430 |
| 11 | फतेहाबाद | 15 | 24 | 15 | 20 |
| 12 | झज्जर | 105 | 167 | 105 | 140 |
| 13 | भिवानी | 60 | 95 | 60 | 80 |
| 14 | हिसार | 30 | 48 | 30 | 40 |
| 15 | फरीदाबाद | 30 | 48 | 30 | 40 |
| 16 | पंचकूला | 30 | 48 | 30 | 40 |
| | कुल | 3000 | 4764 | 3000 | 4000 |

अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharayana.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

| Technology Mission on Sugarcane योजना 2016-17 के तहत Seed of Notified/Recommended varieties, Wide Row Spacing Method, Single Bud Planting Method व Multiple Ratooning के लिए अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र। | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | किसान का नाम:- | |
| 2 | पिता/पति का नाम:- | |
| 3 | माता का नाम:- | |
| 4 | श्रेणी (सामान्य/पिछडी जाति/अनुसूचित जाति):- | |
| 5 | आधार कार्ड संख्या:- | |
| 6 | मतदाता पहचान कार्ड संख्या:- | |
| 7 | पंता:- क) गांव:- ग) तहसील:- ड) पिन कोड:- | ख) खण्ड:- घ) जिला:- च) मोबाईल नं0:- |
| 8 | जमीन का विवरण (कुल रकबा):- | |
| 9 | गन्ने का बिजाई क्षेत्र (एकड़ में):- | |
| 10 | 1. Name of the variety for Seed on Subsidy : 2. Wide Row Spacing Method (Acre) : 3. Single Bud Planting Method(Acre) : 4. Multiple Ratooning (Acre) : | |
| 11 | सहायक गन्ना विकास अधिकारी का नाम:- | |
| 12 | बैंक खाते का विवरण:- (क) बैंक का नाम:- (ख) ब्रांच का नाम:- (ग) खाता संख्या:- (घ) IFSC कोड:- | |

तिथि:-

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह

विशेष दिशा-निर्देश:-

1. गन्ने के बीज पर अनुदान अधिकतम 2500 रुपये प्रति एकड़ की दर से, Wide Row Spacing विधि से बिजाई करने के लिए अनुदान अधिकतम 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से, Single Bud Planting Method के लिए अनुदान अधिकतम 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से व Multiple Ratooning के लिए अनुदान अधिकतम 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया जायेगा।
2. किसान को किसी एक मद के अर्न्तगत ही अनुदान दिया जाएगा।
3. एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
4. बीज हेतु अनुदान गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों पर ही दिया जाएगा।
5. बीज हेतु अनुदान के लिए अनुसूचित जाति के किसान, महिलाएं तथा लघु किसान पात्र होंगे।
6. किसान बीज की खरीद किसी भी सरकारी स्रोत अथवा गैर-सरकारी स्रोत से करने उपरान्त बिल सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के पास जमा कराएंगे।
7. Wide Row Spacing विधि के तहत किसान किराये पर मशीन व इन्पुट की खरीद किसी भी सरकारी स्रोत अथवा गैर-सरकारी स्रोत से करने उपरान्त बिल सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के पास जमा कराएंगे।
8. Multiple Ratooning मद में किसान सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी(गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के परामर्श अनुसार प्रदर्शन प्लाटों के लिए सरकारी स्रोत अथवा गैर-सरकारी स्रोत से इन्पुट खरीद कर बिल सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
9. अनुदान की राशि गौतिक सत्यापन उपरान्त किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी।
10. योजना "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लागू की जाएगी।
11. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।
12. आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2017 है।
13. रसायनिक खादों पर अनुदान नहीं दिया जायेगा।